कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री कुलदीप सिंह यादव, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाडिया, फागी, जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुलखेडी जिला झालावाड किया गया था जिसके विरूद्ध श्री कुलदीप यादव द्वारा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय, जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 18302/2019 कुलदीप सिंह यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 18302/2019 मे माननीय उच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.2019 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष रिक्त पदो के सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय उच्च न्यायलय के निर्णय के क्रम मे याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपना पदस्थापन राउमावि मुरलीपुरा स्कीम/रामपुरा डाबडी/लोचू का बास/परवन फागी जिला जयपुर अथवा स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर या राजकीय शहीद रतन लाल जाट उच्च माध्यमिक विद्यालय, पहाडी, निवाई जिला टोंक में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष के पद पर किये जाने की माग की गई।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों /परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य मे गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध मे जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिको में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त प्रकरणो को ही स्थानान्तरण के आवेदनों में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। याचिकार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रकट नहीं होता जिससे उनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे।

याचिकार्थी द्वारा चाहे गए विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर में प्रधानाचार्य समकक्ष का पद प्रतिनियुक्ति का पद है जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा नियम–144 (क) के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। अतः पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में याचिकार्थी का उक्त स्थानों पर पदस्थापन सम्भव नहीं है। याचिकार्थी द्वारा विभागीय आदेश दिनांकः 29.09.2019 की अनुपालना मे दिनांकः 05.11.2019 को अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। याचिकार्थी राज्य सेवा के अधिकारी है और उन्हे विभागीय प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकता, राज्य एवं छात्र हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे। उपर्युक्तानुसार, याचिकार्थी श्री कुलदीप सिंह यादव द्वारा पदस्थापन संशोधन हेतु की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/कुलदीप यादव/याचिका/18302/2019/ दिनांक 28/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)